इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2011 वैशाख 30, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) - कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2011

क्र. 29-एफ 4-05/2011/अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 86 के साथ पठित धारा 355 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) खण्ड (चार) तथा (पांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :—

नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, मध्यप्रदेश राज्य नगरपालिका (स्वास्थ्य) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2011 है.
 - (2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

- 2. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;-
- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961),
- (ख) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकारः,
- (ग) "आयोग" से अभिप्रेत हैं, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोगः,
- (घ) 'आयुक्त' से अभिप्रेत हैं, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेशः,
- (ड) ''सिनिति'से अभिप्रेत है चयन सिनिति विभागीय पदोन्नित सिनिति छानबीन सिनितः,
- (च) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षाः,
- (छ) **'सरकार**' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकारः,
- (ज) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल:,
- (झ) 'अन्य पिछड़ा वर्ग ' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर,यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ—8—5/25/4/84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के लिए अन्य पिछड़े वर्गः,
- (ञ) 'अनूसूची ' से अभिप्रेत हैं, इन नियमों के संलग्न अनूसूची :,
- (ट) 'अनुसूचित जाति' से अभिप्रेत है, कोई जाति,मूल वंश या जनजाति अथवा जाति मूल वंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है:,
- (ठ) 'अनुसूचित जनजाति' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के सबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है:,
- (ड) 'सेवा' से अभिप्रेत हैं, मध्यप्रदेश राज्य नगरपालिका (स्वारथ्य) सेवा,
- (ण) "राज्य " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य .
- 3. विस्तार तथा लागू होना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते)
 नियम अनुसूची —एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

- 4. सेवा का गठन :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:-
- (एक) वे व्यक्ति,जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों :,
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों:, और
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उप बंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हो।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या,अनुसूची —एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगीः

परंतु सरकार समय-समय पर, सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

- 6. भर्ती का तरीका (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात ;—
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा, चयन या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या दोनों द्वाराः,
 - (ख) अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोंन्नति द्वाराः
- (2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 7. सेवा में नियुक्ति इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीको में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भरती की पात्रता की शर्ते चयन/परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात :—
- (1) आयु—(क) उसने परीक्षा / चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किंतु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो:,

- (ख) अनूसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु—सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो, मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्ययीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—
- (एक) ऐसा अभ्यथीं जो स्थाई सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए:,
- (दो) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु—सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.
- स्पष्टीकरण :- पद "छटनी" किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।
- (घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु —सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी:,
- (ड) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु—सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी:,

- (च) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी:,
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दंपति के पुरस्कृत संवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी:,
- (ज) विक्रम पुरस्कारधारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी:,
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी:,
- (ञ) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
- टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे उपर्युक्त नियम 8 (1) के खण्ड—(ग) के उप खण्ड—(एक) तथा (दो) उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्याग पत्र देते है, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जावेगी।
- (दो) शैक्षणिक अर्हताएं —अभ्यर्थी के पास, अनुसूची तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।
- (तीन) फीस -अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.
- 9. निरर्हता:— किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा / चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.
- 10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा :-चयन / परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा

प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार / परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा .

- 11. प्रतियोगिता परीक्षा / चयन द्वारा सीधी भर्ती:--
 - (1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती— (क) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।
- (ख) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी, जो कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय—समय पर जारी करे।
- (ग) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे।
- (घ) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी कम में किया जायेगा जिस कम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा सेवा में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाय, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (च) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेगें।

- (छ) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे।
- (ज) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे।
- (झ) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालाविध का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और आयोग की राय में यह पाया जाय कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेगे वहां आयोग, सरकार से परामर्श के पश्चात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।
- (ञ) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित इन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाते है, तो ऐसी रिक्तयां सरकारी की पूर्व अनुज्ञा बिना, अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेंगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के चयन के लिए लिए रिक्त रखी जायेगी।
- (2) चयन द्वारा सीधी भर्ती:— (1) सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय—समय पर अवधारित करे.
- 12. (1) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हो।
- (2) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

- (3) चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधि मान्य रहेगी।
- 13. परिवीक्षा:— सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालाविध के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.
- 14. पदोन्नित द्वारा नियुक्ति— (1) पदोन्नित के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची—चार में यथाउल्लिखित सदस्य होंगे :

परंतु यदि पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नित समिति / छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नाम—निर्देशित किये गए अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नित / छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नित / छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

- (2) अनुसूची— चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नित हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नित में आरक्षण एवं पदोन्नित द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नित आदेश पर इस आशय का पृष्टांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

15. पदोन्नित के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— उस कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी को, जिसमें विभागीय पदोन्नित समिति आयोजित की गई है, अर्हताकारी सेवा की कालावधी की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक पद के फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/वेतनमान पर पहुँचा है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जायेगी।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :--

- (1) विभागीय पदोन्नित समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तो को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नित के लिए उपयुक्त समझे गये हों, यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें दो लोक सेवकों के नाम अथवा उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हों, सम्मिलित होंगे।
- (2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार होगा।
- (3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के कम में रखे जायेंगे। जब कभी योग्यता—सह—वरिष्ठता के मानदण्ड के आधार पर पदोन्नित की जाना हो, चयन सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जायेगी.

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :--

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी कम से की जायेगी, जिस कम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आये हो।

- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सिम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सिम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालाविध के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।
 - 18. निर्वचनः— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा ।

अनुसूची—एक (नियम 5 देखिए) वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क	सेवा में सम्मिल पदों के नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
		संख्या			
1	2	3	4	5	6
1	स्वास्थ्य अधिकारी (एमबीबीएस)	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + 5400 ग्रेडपे	
2	स्वास्थ्य अधिकारी (पदोन्नत)	44	द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + 4200 ग्रेडपे	स्वास्थ्य निरीक्षक से पदोन्नति

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिए) भर्ती का तरीका

07-7-			1	Z Z 2			ATO THE
अनुक.	पदनाम	सेवा का नाम	कर्तव्य	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की			अभ्युक्ति
			पदों	संख	या की प्रतिश	तता	
			की	सीधी भर्ती	पदोन्नति	अन्य	
			कुल	द्वारा(नियम	द्वारा(नियम	सेवाओं के	
			कुल संख्या	6(1(क)	6(1(ख)	व्यक्तियों	
				देखिए)	देखिए)	के	
				·		स्थानांतरण	
						द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्वास्थ्य	म.प्र.	1	100	and the second s		
	अधिकारी(एमबीबीएस)	नगरपालिका		प्रतिशत			
		सेवा(स्वास्थ्य)					
2	स्वास्थ्य अधिकारी	म.प्र.राज्य	44	Emprehab	100		
	(पदोन्नत)	नगरपालिका			प्रतिशत		
		सेवा					
		(स्वारध्य)					

अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती से किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु एवं अर्हता

अनुकमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
	स्वास्थ्य अधिकारी	21 বর্ष	35 वर्ष	एमबीबीएस या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता	

अनुसूची—चार (नियम 14 देखिए)

पदोन्नित के लिए सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नित के सदस्य

अनुकमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	1	विभागीय पदोन्नति सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
1	स्वास्थ्य निरीक्षक	स्वास्थ्य अधिकारी (पदोन्नत)	स्वच्छता निरीक्षक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव	 अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसका निर्देशिति—अध्यक्ष प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—सदस्य आयुक्त,संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास—सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. एस. परिहार, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 9th May 2011

No. 29 F 4-05/2011/18-1: In exercise of the powers conferred by sub section (1) and sub-clause (a) and (b) of clause (iv) and (v) of sub-section (2) of section 355 read with section 86 of the Madhya Pradesh Municipalities Act., 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby makes the following rules namely:-

RULES

- 1- Short title and commencement, -
- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Municipal (Health) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2- **Definiations**:- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);
 - (b) "appointing authority" in respect of service or post "means the Government"
 - (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission
 - (d) "Commissioner" means the the commissioner Urban Administration and Development Department, Madhya Pradesh;
 - (e) "Committee" means the selection committee/ Departmental Promotion committee/Screening committee;

- (f) "examination" means a comptitive examination for recruitment to the Service held under rule 11;
- (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh
- (i) "Other Backward Classes" means the Other Backword Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. 8- 5XXX-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time.
- (j) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
- (k) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under ariticle 341 of the Constitution of India;
- (l) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community of part of or gruop within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to The State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (m) "Service" means the Madhya Pradesh State Municipal (Health) Service;
- (n) "State" means the State of madhya Pradesh.
- 3. Scope and application.-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service as mentioned in Schedule-I

- **4. Constitution of the Service.** The Service shall consist of the following persons, namely--
- (i) Persons, who at the at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule I;
- (ii) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules, and
- (iii) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the services shall be in accordance with Schedule-I;

Provided that the government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

- 6. **Method of recruitment.-**(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
- (a) By direct recruitment, by selection or competitive examination or by both;
- (b) By promotion of the members of the Service specified in colums (2) of Schedule IV.
- (2) The number of persons recruited under clause (b) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I

- 7. **Appointment to the Service.-** All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment spedfied in rule 6.
- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-In order to be eligibile for selection/examination a candidate must staisfy the following conditions, nemely:-
 - (I) Age.-(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of january, next following the date of commencement of the examination/selection;
 - (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-
- (i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.
- (ii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 yerar, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of

reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registrarion at the employment exchange of of application made otherwise for employment in Government service.

- (d) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provision for the Appointment of women) Rules, 1997;
- (e) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the wido, destitute and divorced woman candidate;
- (f) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of two years for those candidates, who are holding green card under the Family Welfare Programme of the Government.
- (g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste-marrige incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Department;
- (h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Vikram Awards holder candidates;
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates, who are employees of the Madhya Pradesh State Coroporations/Boards;
- (j) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time.

Note.-Candidates, who are found eligible for examination/selection under the ageconcessions mentioned in rule 8 (1), sub-clause(i) and (ii) of clause (c) above shall not to be aligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will however continue to be eligible if they are reternched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.

- (II) Educational qualification.-The candidate must have possesed the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.
- (III) Fees.-The cabdidate must pay the fees prescribed by the Commission.
- 9. **Disqualification.**-Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for the appearing in the examination/selection.
- 10. Commission's decision about the eligibility of candidate shall to be final.

 The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examinations shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to appear in the interview/examination.
- 11. Direct recruitment by competitive examination/selection.-
- (1) Direct recruitment by competitive examanation.-
- (a) The competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals, as the Government may in consultation with the Commission, determine from time to time.
- (b) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government, may from time to time issue in consultation with the Commission.
- (c) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes

at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per order issued by the State Government from time to time.

- (d) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (e) Cadidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of the efficience of service, may be appointed to the vancancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.
- (f) There shall be reserved post for the women candidates, in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997
- (g) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.
- (h) There shall be reserved posts for Ex-serviceman in accordande with the direction of the General Administration Department.
- (i) In such cases, where experience of some period has been prescribed as essential conditions for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Commission that sufficient number of candidated belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, may not be available, the Commission may relax such conditions of experience

to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consulation with the Government.

- (j) If the posts reserved for Secheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates remain unfilled due to non availability of the candidates velonging to these classes, then such vacancies can not be filled up by the candidates of other classes, without prior permission of the Government and shall be kept vancant for the selection of scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates.
- (2) **Direct recruitment by selection.**-The selection for appointment on the post to the service shall be held as such intervals, as the Government may, in consultation with the Commission, determine from time to time.
- 12. List of candidates recommended by the Commission.-(1) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list.
- (2) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.
- (3) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.
- 13. **Probation.**-Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.
- 14. **Appointment by promotion.-**(1) There shall be constituted a committee consisting of members as mentioned in Schedule IV, for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nomination members other than the member presiding the Departmental Promotion Committee/Screening Committee in respects of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee and the numbers of the members of Departmental Promotion Committee/Screening Committee shall be extended to that limit.

- (2) The promotion of members of the Service specified in coloumn (2) of Schedule IV to the posts as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process, reservation in promotion and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rule, 2002.
- (3) Certification by the Appointing Authority.-Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Ansusuchit Jan Jatioyon Aur Anya Pichhede Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rule, 2002 and the instruction issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provision of sub-section (1) of section 6 of the said Act.
- 15. Manner of the computation of the eligiblity for promotion.- Period of qualifying service on 1st January of the calendar year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder-cadre/part of service/pay scale of the post and

not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

- Preparation of the list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of the two public servants of 25 percent number of persons, whichever is more, included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The criteria of preparation for select list shall be as per the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.
- (3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service of posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list. Whenever promotion is to be made on the basis of merit cum seniority the select list shall be prepared as per the provisions of The Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.
- 17. Appointment to the service from the select list.-
- (1) Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the name of such persons appear in the select list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consuld Commission before the appointment of a person whose name in included in the select list in the service unless during the period intervening
 - between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointments there occurs any deterioration in his work which in the opinior of the Government in such as to render him unsuitable for appointment to the service.
- 18. **Interpretation.-**If any question arises relation to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

SCHEDULE I (See rule 5) (Classification, pay scale, number of posts included in the service)

S.N.	Name of the post included in the service	Number of Posts included in the service	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Health Officer (MBBS)	1	Class II	15600- 39100 + 5400 Grade pay	-
	Health Officer (Promotion)	44	Class II	9300-34800+4200 Grade Pay	Promotion from the Sanitary Inspector.

SCHEDULE II

(See rule 6)

Method of Rcruitment

S.N.	Name of the post	Number of service	Total number of Duty Post	Percentage of the number of duty post be filled			Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Health Officer (MBBS)	M.P. Municipalities Services (Health)	1	100 %	-		6.1
2	Health Officer (Promotion)	M.P. Municipalities Services (Health)	44	-	100 %	_	Section 1981 Secti

SCHEDULE III

(See rule 8)

Age and qualification of person for P direct recruitment

S.N.	Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Health Officer	21 Years	35 Years	M.B.B.S. or Equivalent	_
				qualification as	
				recognised by Medical	
				Council of India	

SCHEDULE IV

(See rule 14) Service Experience for promotion and members of Departmentla Promotion Committee

S.N.	Name of the post or service from which promotion is to be made.	Number of post which promotion is to be made	Essential qualification if any and other experience in the post from which promotion is to be made.	Name of member of the D.P.C.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sanitary Inspector	Health Officer (Promotion)	10 years experience of the post of Sanitary Inspector	1- Charirman, Public Service Commission or his nominee - Chairman 2- Principal Secretary M.P. Government Urban Administration and Development Deptt Member 3- Commissioner Directorate of the Urban Administration and Development - Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. P. S. PARIHAR, Principal Secy.